

फॉर्म नं.97
(नियम 159 व 160)

घोषणा का फॉर्म किसी भी ऐसे व्यक्ति (कंपनी या फर्म को छोड़कर) या नियम 159 के उप-नियम(2) के अंतर्गत आवरित विदेशी कंपनी द्वारा भरा जा सकता है, जिसके पास पमनिन्ट अकाउंट नंबर न हो तथा जो नियम 159 में विनिर्धारित किसी ट्रांजेक्शन में शामिल हुआ हो (नोट 1 देखें)

भाग-अ: ट्रांजेक्शन का स्वरूप		
1.	ट्रांजेक्शन का स्वरूप	(नोट 2 व 3 देखें)

भाग-ब: घोषणा	
<p>मैं/आवेदक घोषणा करता हूँ कि मेरे पास मेरे पास पमनिन्ट अकाउंट नंबर(पैन) नहीं है. तथा, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि,:</p>	
(i)	मेरा दर्जा व्यक्ति/हिन्दू अविभक्त परिवार/व्यक्तियों का समूह/व्यक्तियों का निकाय/आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन/सरकार/ट्रस्ट/स्थानीय प्राधिकारण/विदेशी कंपनी का है (कृपया उचित दर्जे को चुनें); तथा
(ii)	मेरी/हमारी/आवेदक की कुल आमदनी (जिसमें आयकर अधिनियम 2025 की धारा 99 के अनुसार जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे आदि की आमदनी भी शामिल है) जिसकी गणना आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों (2025 का 30) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें उपरोक्त ट्रांजेक्शन किया गया है, टैक्स न लिए जाने की अधिकतम राशि से कम होगी; या आवेदक नियम 159 के उप-नियम(2) के अंतर्गत आवरित एक विदेशी कंपनी है तथा उसकी भारत में टैक्स योग्य आमदनी नहीं है.
दिनांक:	
स्थान:	(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

भाग-स- पहचान तथा पते का विवरण			
1.	नाम	(नोट 4 देखें)	
2.	जन्म/निगमन की तिथि	दिन/माह/वर्ष (नोट 5 देखें)	
3.	पिता का नाम	(नोट 6 देखें)	
4.	अगर पैन के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह अभी तक बना नहीं है, तो नीचे दोनों विवरण दें: (नोट 7 देखें)		
	(i)	आवेदन की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(ii)	पावती संख्या	
5.	आधार संख्या		
6.	निवास स्थान का पता	(नोट 8 देखें)	
7.	ऑफिस का पता	(नोट 8 देखें)	
8.	पत्र व्यवहार के लिए पता (एक चुनें)	(i) निवास स्थान (ii) ऑफिस	
9.	संपर्क विवरण		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश का कोड (ड्रॉप डाउन)(डिजिटल फॉर्म के लिए)
			नंबर
	(ii)	टेलीफोन नंबर	देश का कोड (ड्रॉप डाउन)(डिजिटल फॉर्म के लिए)
			नंबर
	(iii)	ईमेल आईडी	
10.	निवास स्थान के देश में टैक्सपेयर आईडेंटिफिकेशन नंबर (टिन)(विदेशी कंपनी के मामले में)		
11.	विदेशी कंपनी के मामले में भारत में आय पर टैक्स (नोट 9 देखें)		
	(i)	टैक्स योग्य आय की राशि (₹ में)	
	(ii)	टैक्स योग्य नहीं आय की राशि (₹ में)	

भाग-द ट्रांजेक्शन का विवरण		
1.	ट्रांजेक्शन की तिथि	दिन/माह/वर्ष
2.	ट्रांजेक्शन की कुल राशि (₹)	(नोट 10 देखें)
3.	ऊपर मद संख्या 2 में उल्लिखित कुल राशि में से केश ट्रांजेक्शन की राशि.	(नोट 11 देखें)
4.	ट्रांजेक्शन का माध्यम	(नोट 12 देखें)
5.	संयुक्त नामों से ट्रांजेक्शन के मामले में (नोट 9 देखें)	
	(i)	ट्रांजेक्शन में शामिल लोगों की संख्या
	(ii)	घोषणाकर्ता की हिस्सेदारी (प्रतिशत के रूप में)

भाग-य: प्रमाण के रूप में पेश किए गए कागजात		
मैंने पहचान, पते तथा जन्म तिथि/निगमन की तिथि के प्रमाण के कागजात संलग्न किए हैं		
1.	पहचान का प्रमाण (पीओआई)	<input type="checkbox"/>
	कागजात की पहचान संख्या	
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम	(नोट 4 देखें)
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का पता	(नोट 8 देखें)
2.	पते का प्रमाण (पीओए)	<input type="checkbox"/>
	कागजात की पहचान संख्या	
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम	(नोट 4 देखें)
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का पता	(नोट 8 देखें)
3.	जन्म तिथि (डीओबी)/निगमन की तिथि (डीओआई) का प्रमाण	<input type="checkbox"/>
	कागजात की पहचान संख्या	
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम	(नोट 4 देखें)
	कागजात जारीकर्ता प्राधिकारी का पता	(नोट 8 देखें)

भाग-र-सत्यापन	
<p>1. मैं, _____, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री _____, पूरे विवेक से घोषित करता/करती हूँ कि इस आवेदन तथा इन कागजातों में दी गई जानकारी, अगर कोई हो, मेरे अधिकतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है, वे सही तथा संपूर्ण हैं तथा उनमें दिखाए गए विवरण सही हैं.</p> <p>2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यह आवेदन.....के लिए.....क्षमता (स्वयं/प्रतिनिधि निर्धारित) के रूप में किया जा रहा है तथा मैं यह आवेदन करने व इसके सत्यापन के लिए सक्षम हूँ.</p> <p>3. मुझे ज्ञात है कि अगर इस घोषणा के किसी भाग को गलत पाया जाता है तो मुझे पर आयकर अधिनियम 2025 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.</p> <p>दिनांक:</p> <p>स्थान:</p> <p style="text-align: right;">(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)</p> <p style="text-align: right;">नाम:</p> <p style="text-align: right;">पदनाम</p>	

टिप्पणियां:

- घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी हर दृष्टि से सत्य, सही और संपूर्ण है. घोषणा में झूठी जानकारी देने वाले पर आयकर अधिनियम की धारा 482 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
- भाग अ में ट्रांजेक्शन के स्वरूप को निम्नलिखित कोड्स के अनुसार भरा जा सकता है:

क्र.सं.	ट्रांजेक्शन का स्वरूप	कोड
1	किसी अचल संपत्ति को खरीदना या बेचना या गिफ्ट में देना या उसके संयुक्त रूप से विकास का एग्रीमेंट करना	01

2	एक अकाउंट खोलना (बेसिक सेविंस् तथा सावधि जमा को छोड़कर)	02
3	सावधि जमा में निवेश	03
4	इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट आधारित संबंध की शुरूआत	04
5	इवेन्ट मैनेजमेंट में किसी होटल या रेस्टोरेन्ट या कंवेन्शन सेंटर या बैंक्वेट हॉल या इससे जुड़े किसी व्यक्ति को भुगतान	05
6	ऊपर वर्गीकृत न की गई किसी प्रकृति की वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री या खरीद	06

- फॉर्म के भाग अ से लेकर र तक को सभी 6 ट्रांजेक्शन्स के लिए भरा जाना चाहिए.
- व्यक्तियों के मामले में, पहला, मध्य तथा कुलनाम पूरा दिया जाना चाहिए, बिना संकेताक्षरों का इस्तेमाल किए. दूसरे मामलों में, इकाई का गठन जिस कानून के तहत किया गया हो, उसके अंतर्गत जारी रजिस्ट्रेशन कागजात में उल्लेख किए गए अनुसार इकाई का नाम दिया जाना चाहिए.
- व्यक्तियों के मामले में, जन्म तिथि दी जानी चाहिए, अन्य मामलों में इकाई के निगमन की तिथि दी जानी चाहिए.
- व्यक्तियों के मामले में, पिता का नाम दिया जाना चाहिए..
- ऐसे मामलों में जहां आकलित कुल आमदनी, टैक्स रहित कुल आमदनी की सीमा को पार कर जाती है, वहां व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए. भाग स की मद 4 को आवेदन जमा कराए जाने के प्रमाण के रूप में भरें.
- पते में ये होना चाहिए i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/डोर/बिल्डिंग, iii. रोड/स्ट्रीट/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/जिप कोड, v. पोस्ट ऑफिस, vi. एरिया/स्थान, vii. जिला, viii. राज्य
- घोषणा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, भाग स के मद 11(i) आमदनी को टैक्स योग्य दिखाए जाने पर घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा.
- ट्रांजेक्शन की कुल राशि को भाग द के मद 2 में भरा जाना चाहिए. अगर ट्रांजेक्शन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ट्रांजेक्शन में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख भाग द के मद 5(i) में तथा व्यक्ति का हिस्सा प्रतिशत के रूप में भाग द के मद 5(ii) में किया जाएगा जैसे कि 5 व्यक्तियों के नाम से ₹100 मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर जहां प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा 10% है, घोषणा करने वाले को मद 3 में 100, मद 5(i) में '5' तथा मद 5(ii) में '10' भरना चाहिए.
- ट्रांजेक्शन, जिसका मूल्य भाग द के मद 2 में दिया गया है, में शामिल कैश ट्रांजेक्शन को भाग द के मद 3 में भरा जाना चाहिए.
- भाग द के मद 4 में ट्रांजेक्शन के माध्यम को निम्नलिखित कोड्स के साथ भरा जाना चाहिए:

क्र.सं.	ट्रांजेक्शन के माध्यम	कोड
1	कैश	01
2	चेक	02
3	कार्ड	03
4	ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	04
5	ऑनलाइन ट्रांसफर्स	05
6	मिला-जुला (कैश तथा अन्य माध्यम)	06
7	यूपीआई ट्रांजेक्शन्स	07
8	अन्य	08

- पहचान, पते तथा जन्मतिथि के समर्थन में जो कागजात पेश किए जा सकते हैं (अगर पैन के लिए आवेदन किया है तथा भाग स में मद 4 को भरा है तो लागू नहीं):

क्र. सं.	कागजात का स्वरूप	कागजात का कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण	जन्म/निगमन की तिथि*
अ. व्यक्तियों तथा एचयूएफ के लिए					
1.	आधार कार्ड	01	हां	हां	नहीं

2.	बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटोग्राफ हो	02	हां	हां	नहीं
3.	फोटो युक्त मतदान पत्र	03	हां	हां	हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	04	हां	हां	नहीं
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां	हां
6.	पासपोर्ट	06	हां	हां	हां
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां	नहीं
8.	नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) जॉब कार्ड	08	हां	हां	नहीं
9.	जाति का प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां	नहीं
10.	सांसद या विधायक या म्युनिसिपल काउंसिलर या गजेटेड अधिकारी द्वारा फॉर्म 093 में निर्धारित परिशिष्ट अ के अनुसार	10	हां	हां	नहीं
11.	नियोक्ता का प्रमाणपत्र	11	हां	हां	नहीं
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं	नहीं
13.	शस्त्र का लाइसेंस	13	हां	नहीं	नहीं
14.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम/भूतपूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड	14	हां	नहीं	हां
15.	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र अपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं	हां
16.	बिजली का बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)	16	नहीं	हां	नहीं
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)	17	नहीं	हां	नहीं
18.	पानी का बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)	18	नहीं	हां	नहीं
19.	कंज्यूमर गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)	19	नहीं	हां	नहीं
20.	बैंक अकाउंट की विवरणी (जो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो)	20	नहीं	हां	नहीं
21.	क्रेडिट कार्ड विवरणी (जो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो)	21	नहीं	हां	नहीं
22.	डिपॉजिटरी अकाउंट विवरणी (जो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो)	22	नहीं	हां	नहीं
23.	प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कागजात	23	नहीं	हां	नहीं
24.	सरकार से आवास के आबंटन का पत्र	24	नहीं	हां	नहीं
25.	जीवनसाथी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां	नहीं
26.	प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की रसीद (जो एक साल से अधिक पुरानी न हो)	26	नहीं	हां	नहीं
27.	निवास का प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसमें व्यक्ति का फोटो हो)	27	हां	हां	हां
28.	नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप धारा (1) के क्लॉज (द) में परिभाषित अनुसार म्युनिसिपल प्राधिकारी या जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी कार्यालय या इंडियन कॉन्सुलेट द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र;	28	नहीं	नहीं	हां
29.	पेंशन भुगतान का आदेश	29	नहीं	नहीं	हां
30.	विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह का प्रमाणपत्र	30	नहीं	नहीं	हां
31.	मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक का प्रमाणपत्र या मार्क शीट	31	नहीं	नहीं	हां
ब. व्यक्ति समूह (ट्रस्ट) के लिए					

	ट्रस्ट डीड की कॉपी या चैरिटी कमिशनर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र.	32	हां	हां	हां
स.	व्यक्ति समूह (ट्रस्ट से भिन्न) या व्यक्ति निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन				
	चैरिटी कमिशनर या कोऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एग्रीमेन्ट की कॉपी या सर्टिफिकेट की कॉपी या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी कोई कागजात जो ऐसे व्यक्ति की पहचान, पते तथा निगमन की तिथि की पुष्टि करता हो	33	हां	हां	हां
द. विदेशी कंपनी के लिए					
1.	वह देश जहां आवेदक स्थित है, वहां जारी रजिस्ट्रेशन या निगमन के सर्टिफिकेट की कॉपी, जो कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो.	34	हां	हां	हां
2.	वह देश जहां आवेदक स्थित है, वहां जारी टैक्स आईडेंटिफिकेशन की कॉपी, जो कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो.	35	हां	हां (अगर उल्लेख किया गया पता समान है)	हां

*काजगात को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा अगर उसमें घोषणा करने वाले के नाम, जन्म/निगमन की तिथि, माह तथा वर्ष का उल्लेख किया गया हो.

- (i) अगर ट्रांजेक्शन किसी नाबालिग के नाम से हो तो ऐसे नाबालिग के किसी माता-पिता/अभिभावक के पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में उपरोक्त उल्लिखित किसी कागजात को नाबालिग घोषणाकर्ता की पहचान तथा पते का प्रमाण माना जाएगा, तथा घोषणा पर माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- (ii) एचयूएफ के लिए एचयूएफ के कर्ता के नाम पर किसी कागजात की जरूरत होगी.
- (iii) सरकार के मामले में, विभाग के प्रमुख/पे एंड अकाउंट्स अधिकारी/जोनल अकाउंट्स अधिकारी/डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़री अधिकारी/चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग अधिकारी से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.